न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 64 / 2020

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड,
शाखा कार्यालयः– 711 / 4, प्रथम तल, बी0सी0 कॉम्पलेक्स, दौलत बाग के सामने,
अजमेर (राज0) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

..................प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री सत्यनारायण सोनी पुत्र श्री बन्शी लाल सोनी
  (अ) हाउस न0 579, खटाना का बास, पंचायत भवन के पास, मैन रोड नारेली,
  ग्राम नारेली, पोस्ट मदार, जिला अजमेर (राज0) 305024
  (ब) खसरा नं. 881, पुराना खसरा नं0 3127, न्यू ग्राम नारेली,
  तहसील व जिला अजमेर (राज0) 305024

(2) श्रीमती कंचन देवी सोनी पत्नि श्री सत्यनारायण सोनी
  (अ) हाउस न0 579, खटाना का बास, पंचायत भवन के पास, मैन रोड नारेली,
  ग्राम नारेली, पोस्ट–मदार, जिला अजमेर (राज0) 305024
  (ब) खसरा न0 881, पुराना खसरा न0 3127, न्यू ग्राम नारेली,
  तहसील व जिला अजमेर (राज0) 305024

..अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिकस्ट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री संजय सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 19.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री सत्यनारायण सोनी पुत्र श्री बन्शी लाल सोनी एवं श्रीमती कंचन देवी सोनी पत्नि श्री सत्यनारायण सोनी, निवासीः– हाउस नं0 579, खटाना का बास, पंचायत भवन के पास, मैन रोड नारेली, ग्राम नारेली, पोस्ट मदार, जिला अजमेर (राज0) 305024 को दिनांक 28 03.2017 को रूपये 7,95,000/–(अक्षरे सात लाख पिच्यानवे हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर खसरा नं0 881, (पुराना) खसरा नं0 3127, (नया) ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर (राज0) में स्थित बंधक सम्पति, जिसका क्षेत्रफल 136.11 वर्ग गज, जो श्री सत्यनारायण सोनी पुत्र श्री बन्शी लाल सोनी के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ :– पूर्व में:–देवा का बाडा, पश्चिम में:– आम रास्ता, उत्तर में:– हरचन्द का मकान, दक्षिण में–जग्गा जी का बाडा, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनाक 02.01.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 19.02.201 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 8,32,872/–(अक्षरे आठ लाख बत्तीस हजार आठ सौ बहत्तर मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्प

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

को नहीं सम्भलाया है। प्राथी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में खसरा नं0 881, (पुराना) खसरा नं0 3127, (नया) ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर (राज0) में स्थित बंधक सम्पति, जिसका क्षेत्रफल 136.11 वर्ग गज है जो श्री सत्यनारायण सोनी पुत्र श्री बन्शी लाल सोनी के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ है:- पूर्व में:-देवा का बाडा, पश्चिम में:- आम रास्ता, उत्तर में:- हरचन्द का मकान, दक्षिण में-जग्गा जी का बाडा, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 19.03.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर